उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुमुख-9
संख्या-287 /5-9-12-09(37)/07
लखनऊ : दिनांक 5/9/2012

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों, विशेष निर्धारित वर्ग तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से बंधित वर्ग को सुलभ, प्रभावी एवं गुणवत्तापर स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने के लिए विनिमय कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। समुदाय विशेष के निर्धारित वर्ग तथा महिलाओं की आवश्यकताओं, हितों एवं अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कार्यलय ज्ञाप संख्या-3026/5-9-07-9(37)/07 दिनांक 05. 09.2007 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर "ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वक्ष्टा समिति" का गठन निर्माण किया गया है :-

1- समिति की संचरणा :

1- ग्राम प्रधान

2- क्षेत्र की एन/एनएम/बे/स्वास्थ्य (महिला)

3- संयुक्त प्रांत पंचायतराज अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के सभी 6 निर्बन्धित सदस्य (जिसमें एक अनुसूचित जाति/जनजाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग तथा एक महिला सदस्य अन्वित दो तथा अन्य 3 ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे।)

4- स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक पुरवे के प्रतिनिधि, अन्य महिलाएं एवं क्षेत्रीय विषय विशेषज्ञ (अधिकतम-7)

5- क्षेत्र की "आशा" यदि ग्राम पंचायत में एक से अधिक आशा कार्यवाल है तो प्रमाण चिकित्साधारक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा नामित आशा सदस्य सचिव होगी, तथा अन्य आशा समिति की सदस्य होगी।

विशेष आमंत्रियों को बैठक में भाग लेकर अपना अभिमत व्यक्त करने का अधिकार होगा और उनके अभिमत को बैठक के कार्यमूल में अभिलिखित भी किया जाएगा किन्तु विशेष आमंत्रियों को बैठक में लोट देने का अधिकार नहीं होगा।
2—अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण

प्रदेश की समस्त ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के गठन के पश्चात इन समितियों
द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा सके—अतः अपेक्षित गतिविधियों की जानकारी देने के लिए समिति के
सदस्यों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3—ग्राम स्वास्थ्य निधि:

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति वार्षिक (असम्बद्ध अनुदान) रू 10,000/—हेतु अधिकृत
होंगी। यह धनराशि निम्न गतिविधियां हेतु व्यय की जायेगी —

(क) इस धनराशि का उपयोग आवश्यक कोष के रूप में किया जायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर
जलवायुरंग परिवार के लिए इसमें से धनराशि आहरित की जा सकेगी जिसकी किस्तों में
वापसी की जायेगी।

(ख) ग्राम स्तरीय जन स्वास्थ्य गतिविधिया—यथा स्वच्छता अभियान, आरोग्यकारी गतिविधियां,
Waste and Sewage Disposal Management, शैक्षणिक स्वास्थ्य गतिविधिया, आमनवाही स्तर
की महिलाओं, परिवार सघनता आदि कार्यों का सम्पादन।

(ग) असामान्य परिस्थितियों में किसी अति निर्धारित परिवार या बेसहारा महिला की स्वास्थ्य समस्या
समस्या के निदान हेतु इस कोष का समीक्षित द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

(घ) स्थानीय रत्न स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों के लिए असम्बद्ध अनुदान एक ऐसा ब्रह्म है जिसका
उपयोग केवल उनकी कियाकलापों के लिए किया जाये जो एक से अधिक परिवारों के ताल के
लिए किये जायें। समुदाय के पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, संस्कृति, जन स्वास्थ्य समस्या
कार्यों के लिए इस फणद का उपयोग किया जा सकेगा।

(ड) ग्राम स्वास्थ्य समिति के फणद में प्रत्येक ग्राम द्वारा आर्थिक योगदान किया जा सकता है। ऐसे
गाँवों में जहां स्थानीय समुदाय के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के रू 10,000/—
के असम्बद्ध अनुदान में आर्थिक योगदान किया गया है, ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता
एवं प्रोत्साहन दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। असम्बद्ध अनुदान का उद्देश्य
स्थानीय रत्न पर ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किया जाना है
जिनसे ग्रामीण रत्न की जन स्वास्थ्य समस्या जरूरत पूरी हो सके।
4—ग्राम स्वास्थ्य निधि के खाते का प्रबन्धन :

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की धनराशि बैंक के खाते में रखी जाएगी जिसका संचालन समिति के अध्यक्ष/ग्राम प्रधान तथा समिति की सदस्य—सचिव ए0एन0एम0/बो स्वाथ 100 (महिला) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के आय व व्यय का विवरण सदस्य/सचिव ए0एन0एम0/बोएर्स0एक0 (महिला) द्वारा एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। समय—समय पर समिति के सदस्यों द्वारा इन रजिस्टर का निरीक्षण किये जाने के साथ—साथ सामान्य जनता द्वारा भी एक पूर्व निर्धारित तिथि में इस रजिस्टर का अवलोकन किया जा सकता है।

5—समिति का उद्देश्य

(क) प्रथमेक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के स्थार पर अध्यक्ष परिवार सर्वक्षण आंकने से रखे जाएगे ताकि मंग जनित कार्यक्रमों के लिए उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।
(ख) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा की गयी कार्यवाही, व्यय की गयी धनराशि आदि का विवरण जनसामग्री के देखने के लिए एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा एवं समय—समय पर विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जायेगा।
(ग) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा कराये गये कार्यों का क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा की जाएगी।
(घ) ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत गठित क्षेत्र पंचायत समिति एवं जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।
(ङ) जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कृत्रिम कार्यकलापों का एक डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा।
(च) समिति के अभिलेखों (कार्यवृत्त, रजिस्टर, एजेंडा रजिस्टर आदि) के रखरखाव का कार्य ए0एन0एम0/बोएर्स0एक0(महिला) के मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण में “आशा” द्वारा किया जायेगा।

6—इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के कार्यवाह क्राप संख्या—3410/पंजे—9/2008—9(37)/07 दिनांक 22.07.2009 द्वारा पूर्व में निर्धारित क्राप दिनांक 05.09.2007 में आशिक संशोधन करते हुए ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में ग्राम पंचायत अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
7- इस सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेश संख्या-जेडो -18015 /8 /2011 –एन0 आरडीएम-डी दिनांक 25.07.2011 एवं तदकार में मिशन निदेशक राज्य कार्यक्रम प्रवर्धन ईकाई लखनऊ के पत्र संख्या-एसी000एम00000/0000 प्रो/भीएडीएम00/2011-12/10-2/1932 दिनांक 05.09.2011 द्वारा उपलब्ध करायी गये प्रस्ताव पर सम्बन्धित विचारोपरांत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.09.2007 (यथा संशोधित दिनांक 22.01.2009) द्वारा पूर्व में गठित ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का नाम परिवर्तित कर “ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति “ किए जाने एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.09.2007 के प्रस्ताव–7 में उल्लिखित समिति के उत्तरदायित्व में निम्नवत वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

1. “ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति” समुदाय में पोषण के सम्बन्ध में जागरूकता फैलावें तथा लोगों के स्वस्थ्य रहने में पोषणार्थ के महत्व के सम्बन्ध में जानकारी देंगी।

2. अपने क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर एवं कुपोषण का साक्षरता कार्य करायेंगी।

3. अपने क्षेत्र में उपलब्ध पोषक खाद्य पदार्थों एवं फल आदि जिसमें पोषक तत्वों की अधिकता हो, की पहचान करने हेतु उनका प्रयास प्रसार करेंगी एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान जो क्षेत्रीय संस्थाओं, कार्यक्षेत्र एवं प्राकृतिक वातावरण के समानुसार हो, को सामुदायिक परम्परा की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ावा देंगी।

4. एन0एम0, ओगणवाड़ी, आशा एवं मुख्य सेविका के सहयोग से पोषण की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करेंगी। ग्राम में यदि कुपोषण बच्चे है तो कुपोषण का कारण की जानकारी कर इन कारणों को दूर करने का प्रयास करेंगी।

5. गांव में आयोजित होने वाले ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में सक्रियता से सहयोग प्रदान एवं समुदाय को प्रतिभाग करने हेतु प्रेरित करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगी कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस प्रत्येक माह में आयोजित हो।

6. बच्चों में कुपोषण की शीर्ष पहचान कर निकटसमय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/पोषण पुनर्वास केंद्र में समन्वित करेंगी।

7. ओगणवाड़ी के किचकलयों का पर्यवेक्षण करेंगी तथा महिलाओं एवं बच्चों में पोषण की स्थिति को बेहतर करने में ओगणवाड़ी केन्द्र की सहायता करेंगी।
(8) स्वास्थ्य एवं पोषण समस्याओं के निराकरण हेतु एक मंच प्रदान करेगी।

8- उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 05.09.2007 (यथा संशोधित दिनांक 22.01.2009) उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायें।

(संज्ञेय अग्रवाल)

प्रमुख सचिव।

संख्या- 287(1)/5-9-12 तद्दिनांक

: प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत :-

1- सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0 प्र0 शासन को मार मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0 शासन।

4- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इंकाई उ0 प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0 प्र0।

6- समस्त मण्डलाध्यक्ष/जिलाधिकारी उ0 प्र0।

7- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ/परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा विभाग,उ0 प्र0।

8- समिति के समस्त सदस्यगण।

8- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उ0 प्र0।

9- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0।

10- गार्ड फाइल।

आशा से,

(राम किशोर)
अनु सचिव